जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर, जिला–धौलपुर (राज.)

02 वर्ष हेतु वाहन किराये पर हेतु निविदा प्रपत्र 2018–19

फर्म का नाम : ....

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	वाहन चालक सहित किराया (प्रति ₹ माह)
1	बोलेरो 9 सीटर ZLX / SLX	
2	स्कार्पियों 9 सीटर या उससे ऊपर	

नियम एवं शर्तें :–

1. विद्यालय में वाहन मय ड्राईवर के वाहन मालिक को उपलब्ध करना होगा ।
2. दरें सभी करों सहित होगी । स्वीकृत दर के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।
3. वाहन में डीजल विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी लॉग बुक वाहन चालक द्वारा संधारित की जाएगी। अन्य प्रकार के दायित्व जैसे वाहन चालक की मजदूरी,, ऑयल और लुब्रीकेन्ट्स, मरम्मत, रख–रखाव, पुर्जो के बदलाव और सर्विस इत्यादि मोटर वाहन नियम और अन्य संबंधित नियम जैसे लेबर लॉ, रोड़ टैक्स, इन्शोरेन्स लॉ (जैसे वाहन का दुर्घटना बीमा, चोरी, आग इत्यादि) उक्त सभी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
4. वाहन 24 घंटों के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम 10 महिनों के लिए (विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश को छोड़कर) एवं कुल 2 वर्ष के लिए किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है।
5. वाहन 2018 मॉडल का होना चाहिए एवं उसमें सभी आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे फायर उपकरण, प्राथमिक उपचार बॉक्स, सीट बेल्ट एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. वाहन का अनुबन्ध प्रारम्भ में 02 वर्षों के लिए होगा एवं जिसे आगामी वर्षों के लिए संतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में दोनों पार्टियों की सहमति एवं समान नियम एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
7. वाहन 24 घंटे विद्यालय परिसर में ही निविदादाता की स्वयं की जिम्मेदारी पर खड़ा करना होगा।
8. वाहन चालक को वाहन के साथ विद्यालय परिसर में ही रहना होगा। वाहन चालक को विद्यालय परिसर में उपलब्धता के आधार पर ठहरना एंव खाना उपलब्ध कराया जा सकता है।
9. निविदादाता को एक दिवस प्रति माह की दर से मरम्मत एंव रख–रखाव कार्य हेतु वाहन ले जाने की अनुमति होगी । निविदादाता को एक बार में 04 दिवस से अधिक के लिये वाहन को मरम्मत कार्य के लिये नहीं भेजा जायेगा तथा मरम्मत अवधि के लिये किसी अन्य वाहन को विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा तथा उपलब्ध नहीं कराने की दशा में वाहन किराये पर लेकर बाजार दरों के आधार पर धनराशि निविदादाता से वसूल की जाएगी।
10. वाहन की एक माह की किराये की धनराशि सुरक्षा राशि के रूप में रखी जाएगी एवं जिसे निविदा अवधि पूर्ण होने पर सामान्य स्थिति में लौटा दिया जाएगा।
11. सभी प्रकार के रोड़ टैक्स संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे परन्तु टोल टैक्स/पार्किंग की धनराशि वाहन चालक द्वारा मूल बिल प्रस्तुत करन पर पुर्नभरित कर दी जाएगी।
12. सभी प्रकार की संबंधित प्रपत्र (जैसे वाहन पंजीयन, बीमा, प्रदूषण जाँच प्रपत्र, वाहन चालक का लाईसेन्स इत्यादि) विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

<u>FOR OFFICE USE</u> :

Signature of PAC members with seal

1....................................... 2... 3... 4......................................

13. वाहन चालक का व्यवहार एवं चाल चलन अच्छा होना चाहिए एवं उसमें किसी प्रकार का दोष जैसे शराब पीना, धुम्रपान करना एवं गुटका इत्यादि खाने की लत ना हो। विद्यालय की ओर से शिकायत होने पर निविदादाता को दूसरा वाहन चालक उपलबध कराना होगा। अन्यथा अनुबन्ध तुरन्त समाप्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी।
14. वाहन की उचित सेवाएं न प्राप्त होने पर उक्त अनुबन्ध को विद्यालय द्वारा बिना किसी शर्त के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
15. विद्यालय द्वारा वेकेशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. नियमानुसार भुगतान में से टी.डी.एस. राशि की कटौती की जाएगी। जिसकी वर्तमान दर 2% है। जिसके एवज में निविदादाता को फार्म नं. 16A उपलबध कराया जाएगा।
17. ***वाहन का पंजीयन टैक्सी नम्बर के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।*** अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक संधारित करनी होगी एवं उसी आधार पर माह के अंत में वाहन का किराया का भुगतान किया जाएगा।

घोषणा

मैंने प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर की सभी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को भली–भॉति पढ लिया है एवं मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। यदि पालन में कोई कमी रह जाती है तो मेरी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम पता मय सील

दूरभाष नम्बर	:	....
निविदादाता का बैक खाता सख्या	:	....
बैक का नाम जहा खाता हैं	:	....
बैक का IFSC Code	:	....

FOR OFFICE USE :

Signature of PAC members with seal

1...................................... 2.. 3.. 4.......................................